


अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

सदिग्ध/अवैध जमाबंदी का अभिलेख नं० 151/198-19
बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से

संबंधित।

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्त
18/3/19	<p style="text-align: center;">झारखंड सरकार के ज्ञापक-2074/रा० दिनांक-13.05.2016</p> <p>सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी निर्देशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा० म० निति-119/85/2308/रा० दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या-914/रा० दिनांक 09.12.1998 में निहित निर्देश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व उपनिरीक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत है-</p> <p style="text-align: center;">मौजा किल्लाखंड मौजा नं०-12 खाता नं० 142, 76, प्लॉट नं० 63, 72, 73, 61 रकबा 3.254-1/4 की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द संख्या 03 के पृष्ठ संख्या 332 पर जमाबंदी रैयत श्रीप्रति असा तनेत्रा ०० जल्द कुआर तनेत्रा के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का राजस्व उपनिरीक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जांचोपरांत उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को सदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी किना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उद्देश्य निजि लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतः- उपरोक्त जाँच प्रतिवेदन पर अंचल-निरिक्षक का मतव्य प्राप्त करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक 11/4/19 को रखे।</p>	
	<p style="text-align: center;">  18-3-19 अंचल अधिकारी, धनबाद। </p>	

11/4/19

अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक से मतव्य / प्रतिवेदन अर्थात् है।
अभिलेख दिनांक 15/4/19 को रखें।

अचल अधिकारी
धनबाद।

15/4/19

अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त होने के कारण अभिलेख की सुनवाई नहीं हो सका।
अभिलेख दिनांक 29/4/19 को रखें।

अचल अधिकारी
धनबाद।

21/5/06/20

अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मतव्य सहित प्राप्त।
प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक
29/06/20 को रखें।

अचल अधिकारी
धनबाद।

29/06/20

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि मौजा
किरावापुरा मीजा नं० 12 खाता 142.76 प्लॉट
नं० 63, 72, 93, 61 रकबा 5254.40¹⁸⁷² भूमि से संबंधित है। आवेदित
भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआवाद खाते की भूमि है। जमाबंदी रैयत
के खाज वीन के उपरान्त पता नहीं चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का
तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसंग हेतु नोटिस की प्रति संलग्न)। आवेदित
भूमि दाखिल खारिज केस नं० 56 (11) 79-80 के अनुसार कायम है।
तत्कालीन अचल अधिकारी धनबाद द्वारा उक्त पंजी को संदेहास्पद माना गया
है। जिसे संबंधित उप निरीक्षक एवं अचल निरीक्षक ने उक्त जमाबंदी को रद्द
हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशंसा सहित समर्पित किया

अतः जाँच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदी रद्द हेतु अभिलेख भूमि
सुधार उपसमाहर्ता धनबाद को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

अचल अधिकारी
धनबाद।

अचल अधिकारी
धनबाद।